रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102023-249697
CG-DL-E-26102023-249697

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 619] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 26, 2023/कार्तिक 4, 1945
No. 619] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 26, 2023/KARTIKA 4, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2023

सं.05/2023-एकीकृत कर

सा.का.नि. 797(अ).—केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017का 13) की धारा 16 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) सं. 01/2023-एकीकृत कर, तारीख 31 जुलाई, 2023, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3,उपखंड (i), संख्यांक सा.का.नि. 578 (अ) द्वारा, तारीख 31 जुलाई, 2023 को प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है,अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,"सभी वस्तुओं और सेवाओं" शब्दों से प्रारंभ होने वाले भाग और "भुगतान किए गए कर की वापसी का दावा कर सकता हैः" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा यह 1 अक्तूबर, 2023 से प्रतिस्थापित हुआ समझा जाएगा, अर्थात्:-

"(i) सभी माल या सेवाएं (नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट माल के सिवाय) ऐसे माल और सेवाओं के वर्ग के रूप में है जिन्हें एकीकृत कर के संदाय पर निर्यात किया जा सकेगा और उस पर ऐसे माल या सेवाओं का पूर्तिकार इस प्रकार संदत कर पर प्रतिदाय का दावा कर सकेगा; और

(ii) विशेष आर्थिक जोन में किसी विकासकर्ता या यूनिट,की प्राधिकृत संक्रियाओं कोव्यक्तियों के वर्ग के रूप में कर रहे सभी पूर्तिकार, जो माल या सेवाओं की आपूर्ति (नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट माल के सिवाय) एकीकृत कर के संदाय पर प्राधिकृत संक्रियाओं के लिए विशेष आर्थिक जोन में ऐसे विकासकर्ता या यूनिट को कर सकेंगे तथा उस पर उक्त पूर्तिकार इस प्रकार संदत कर के प्रतिदाय का दावा कर सकेंगे:

स्पष्टीकरण :- इस खंड के प्रयोजन के लिए :-

(i) पद "प्राधिकृतसंक्रियाओं" का वही अर्थ होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (ग) में यथापरिभाषित है,

(ii) पद "विकासकर्ता" का वही अर्थ होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (छ) में यथापरिभाषित है,

(iii) पद "विशेष आर्थिक जोन" का वही अर्थ होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यक) में यथापरिभाषित है,

(iv) पद "यूनिट" का वही अर्थ होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यग) में यथापरिभाषित है ।

2. यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगी ।

[फा. सं. सीबीआईसी-20001/10/2023-जीएसटी]

राघवेन्द्र पाल सिंह, निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 01/2023-एकीकृत कर, तारीख 31 जुलाई, 2023, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3,उपखंड (i), संख्यांक सा.का.नि. 578 (अ) द्वारा तारीख 31 जुलाई, 2023 को प्रकाशित हुई थी ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2023

No. 05/2023 – Integrated Tax

G.S.R. 797(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 16 of Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 01/2023-Integrated Tax, dated the 31st July, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i),*vide* number G.S.R. 578 (E), dated the 31st July, 2023, namely:-

In the said notification, for the portion commencing with the words "all goods or services" and ending with the words "the refund of tax so paid:*",* the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of October, 2023, namely:—

"(i) all goods or services (except the goods specified in column (3) of the TABLE below) as the class of goods or services which may be exported on payment of integrated tax and on which the supplier of such goods or services may claim the refund of tax so paid; and

(ii) all suppliers to a Developer or a unit in Special Economic Zone undertaking authorised operations as the class of persons who may make supply of goods or services (except the goods specified in column (3) of the TABLE below) to such Developer or a unit in Special Economic Zone for authorised operations on payment of integrated tax and on which the said suppliers may claim the refund of tax so paid:

Explanation,.– *For the purpose of this clause:—*

(i) the term "authorised operations" shall have the same meaning as defined in clause (c) of Section 2 of the Special Economic Zone Act, 2005 (28 of 2005),

(ii) the term "Developer" shall have the same meaning as defined in clause (g) of Section 2 of the Special Economic Zone Act, 2005 (28 of 2005),

(iii) the term "Special Economic Zone" shall have the same meaning as defined in clause (za) of Section 2 of the Special Economic Zone Act, 2005 (28 of 2005),

(iv) the term "unit" shall have the same meaning as defined in clause (zc) of Section 2 of the Special Economic Zone Act, 2005 (28 of 2005).

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. CBIC-20001/10/2023-GST]

RAGHAVENDRA PAL SINGH, Director

Note: The principal notification No. 01/2023- Integrated Tax, dated the 31st July, 2023, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 578(E), dated the 31st July, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2023.10.26 20:24:20 +05'30'